LUMAX

LIL:CS:BM:2018-19

Date : 16.10.2018

BSE Limited
Ist Floor, Rotunda Building
P.J Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Company Code: 517206

The National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, C-1 Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Company Code: LUMAXIND

Sub.: **Newspaper cutting of Notice of Board Meeting to be held on 22nd October, 2018**

Sir/Ma'am,

Please find enclosed copies of the Board Meeting Notice published in the Newspapers on 14th October, 2018 viz. the Financial Express (English- All Edition) and Jansatta (Hindi-Delhi) for your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **LUMAX INDUSTRIES LIMITED**

Ankita Gupta

LUMAX INDUSTRIES LTD. NEW DELHI

ANKITA GUPTA
COMPANY SECRETARY
M.NO. A50166

Encl. : as above

CIN: L74899DL1981PLC012804

Lumax Industries Limited
Plot No. 16, Sector-18,
Maruti Complex,
Gurugram - 122015
Haryana, India

T +91 124 2341090, 2341324, 2397298, 2341328
E lil.ggn@lumaxmail.com

www.lumaxworld.in

Lumax Industries Limited - REGD. OFFICE : 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi - 110046
T - +91 11 4985 7832, E - cao@lumaxmail.com

DK JAIN GROUP

HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Monthly Dividend Option (Payout and Reinvestment)				10.5110

The dividend will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Income distribution / Dividend will be paid to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statement of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of aforesaid Scheme on the Record Date.

With regard to Unit holders of the aforesaid Scheme who have opted for Reinvestment facility under the Dividend Option(s), the dividend due will be reinvested by allotting Units for the Income distribution / Dividend amount at the prevailing ex-dividend NAV per Unit on the Record Date.

Intimation of any change of address / bank details should be immediately forwarded to the Investor Service Centres of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form).

For **HDFC Asset Management Company Limited**

Place : Mumbai
Date : October 13, 2018

Sd/-
Chief Compliance Officer

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

LUMAX DK JAIN GROUP

LUMAX INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi-110046, Tel: 011 49857832
Email:lumaxshare@lumaxmail.com, Website: www.lumaxindustries.com, CIN: L74899DL1981PLC012804

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the October 22, 2018, inter-alia, to consider and approve the Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended September 30, 2018.

The Financial Results will also be made available on the website of the Company at **www.lumaxindustries.com** as well as on the website of the National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and BSE Limited at **www.bseindia.com**.

For **LUMAX INDUSTRIES LIMITED**

Place: New Delhi
Date : 13.10.2018

ANKITA GUPTA
COMPANY SECRETARY

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Mutual Fund
Indiabulls Finance Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

Dividend in Schemes of Franklin Templeton Mutual Fund

The Trustees of Franklin Templeton Mutual Fund have decided to distribute the following dividend:

Name of the Schemes / Plans	Face Value per Unit (₹)	Amount of Dividend per Unit# (₹)	NAV per Unit as on October 11, 2018 (₹)
Franklin India Dynamic PE Ratio Fund of Funds (FIDPEF)			
• FIDPEF - Dividend Plan	10.00	Individuals & HUF – 0.612	36.8292
• FIDPEF – Direct - Dividend Plan		Others – 0.567	39.5079
Franklin India Life Stage Fund of Funds (FILSF)			
• FILSF - 20s Plan-Dividend Option	10.00	Individuals & HUF – 1.800	29.6180
• FILSF - 20s Plan-Direct-Dividend Option		Others – 1.667	30.4740
• FILSF - 30s Plan-Dividend Option	10.00	Individuals & HUF – 1.440	23.3985
• FILSF - 30s Plan-Direct-Dividend Option		Others – 1.334	24.3016
• FILSF - 40s Plan-Dividend Option	10.00	Individuals & HUF – 0.900	15.2244
• FILSF - 40s Plan-Direct-Dividend Option		Others – 0.833	15.7014
• **Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan C (1205 days)** - Quarterly Dividend	10.00	Individuals & HUF – 0.046 Others – 0.043	10.1033

The difference in Dividend per unit for 'Individuals & HUF' and 'Others' is due to differential rate of applicable Dividend Distribution Tax.

The Record Date for the same will be October 19, 2018 (Friday). If in any case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date. All the Unitholders / Beneficial Owners of the dividend plan / option of the scheme whose names appear in the records of Registrar / Depositories as on the Record Date shall be entitled to receive dividend. The investors in the dividend re-investment plan/option will be allotted units for the dividend amount at the NAV of next Business Day after the Record Date.

Please note that dividend as decided shall be paid, subject to availability of distributable surplus.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (as applicable)

For **Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.**
(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

Authorized Signatory

Date: October 13, 2018

Financial Express - Delhi - 14/10/18

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Jansatta - Delhi - 14/10/18

फ रैली

ीं और भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के ाफ अभियान चला रही है। पडलम परिवार के सदस्य शशिकुमार वर्मा ने ई की आलोचना करते हुए उनसे ासक्रिय' कदम उठाने से परहेज करने अनुरोध किया।

C NOTICE

gd Office of the Company Nevelle House J.N. Heredia 001

mentioned securities of the Company have been Lost / have applied to the company.

ecurities should ledge such claim with the company at its else the company will proceed to issue duplicate share

securities Value	No. of Securities	Distinctive Nos.	Certificate Nos.
Rs. 10/-	75	4800441-4800515	2757

sd/-
Mahender Kumar Gupta

LUMAX DK JAIN GROUP

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरवंश भवन–II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली–110046 दूरभाष : 011–49857832 ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com, वेबसाइट : www.lumaxindustries.com, सीआईएन : L74899DL1981PLC012804

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 तथा 47 के अनुसरण में, यह सूचना दी जाती है कि अन्य मुद्दों के साथ ही साथ 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त दूसरे तिमाही/अर्धवार्षिक वर्ष के वित्तीय परिणामों पर विचार करने व अनुमोदित करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को किया जाएगा। वित्तीय परिणाम, कंपनी के वेबसाइट www.lumaxindustries.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com व बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होंगे।

कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2018

अंकिता गुप्ता
कम्पनी सचिव

SHRIRAM City
MONEY WHEN YOU NEED IT MOST

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनांस लि.

पंजी कार्यालय:123, अंगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई–600001 प्रधान कार्यालय: लेवल 3, ईस्ट विंग, वॉकहार्ट टावर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई–400051 शाखा कार्यालय: एल1/एल2, 2 रा.तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, गुरूद्वारा रोड, एसबीआई बैंक के ऊपर, नई दिल्ली–110016

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अधोहस्ताक्षरी श्रीराम सिटी यूनियन फाइनांस लि. (एससीयूएफएल) के वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी हैं। उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं जारी कर निम्न ऋणधारकों/गारन्टरों (उक्त ऋणधारकों/गारन्टरों) को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचनाएं में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया जिसका विवरण भी नीचे दिया गया है। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा उक्त ऋणधारकों/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उक्त ऋणधारकों/गारंटरों द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं/अथवा उगाही की तिथि तक लागू होने वाले देय आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे वर्णित राशि का भुगतान करें। ऋण के पुनर्भुगतान की प्रतिभूति के लिये एससीयूएफएल के पास उक्त ऋणधारकों/गारन्टरों द्वारा निम्न परिसम्पत्तियाँ गिरवी रखी गई हैं:

क्रम सं.	ऋणधारक/सह ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (अचल परिसम्पत्ति का विवरण)
1.	1. मै. लक्ष्मी एण्टरप्राईज (ऋणधारक) एस–82, साईट–2, लोनी रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहननगर, गाजियाबाद, उ.प्र.–201007 2. श्रीमती मधु गजेन्दर सिंह (सह–ऋणधारक/गारन्टर) सी–34, श्याम पार्क एक्टे. साहिबाबाद, उ.प्र.–201005 3. श्री धरमेन्द्र कुमार (सह–ऋणधारक/गारन्टर) सी–34, श्याम पार्क एक्टे. साहिबाबाद, उ.प्र.–201005 4. श्री शिशांत सिंह (सह–ऋणधारक/गारन्टर) सी–34, श्याम पार्क एक्टे. साहिबाबाद, उ.प्र.–201005 5. मै. शिवा कैबल्स (सह–ऋणधारक/गारन्टर) सी–34, श्याम पार्क एक्टे. साहिबाबाद, उ.प्र.–201005	इंडस्ट्रियल एरिया साईट–II, लोनी रोड (हर्षा) तहसील तथा जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. एस–82, क्षेत्रफल माप 643.81 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा पूर्वः प्लॉट नं. 3, पश्चिमः सड़क उत्तरः सड़क, दक्षिणः पार्किंग **मांग सूचना राशि एवं तिथि** 12 मई, 2018 को लोन रिकॉल सूचनाओं के अनुसार रु. 92,78,944.85 (रुपये बानवे लाख अठहत्तर हजार नौ सौ चौआलिस एवं पैसे पचासी मात्र)

यदि उक्त ऋणधारक/गारन्टर उपरोक्त रूप में एससी यूएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो एससीयूएफएल लागत तथा परिणामों के लिए उक्त ऋणधारकों/गारन्टरों की संपूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई करेगा। उक्त ऋणधारकों/गारन्टरों को एससीयू एफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को अंतरित करने से निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम या उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो वे अधिनियम के अंतर्गत कैद एवं/अथवा दंड के भागी होंगे।

स्थानः दिल्ली एवं एनसीआर
तिथिः 14.10.2018

हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी
श्रीराम सिटी यूनियन फाइनांस लि.

(भारत सरकार का उद्यम) नोएडा शाखा
ए–4 पीएस आर्केड, भोजा मार्केट, अट्टा, सेक्टर 27, विनायक हॉस्पीटल के निकट, नोएडा (उ.प्र.) 201301, फोन: 0120–2546200, 2518400, ई–मेल आईडी: brmgr1201@mahabank.co.in; bom1201@mahabank.co.in

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
एक कदम बढ़ाएगा की ओर
ग्राहक अभिवर्धन की सशक्तता हेतु हम प्रतिबद्ध है

कब्जा सूचना [नियम–8 (1)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

करण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक आफ महाराष्ट्र** के हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का तिथि 10.5.2016 जारी कर ऋणधारक, मै. एक्युरेट एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी तथा गारन्टरों को उक्त र सूचना में वर्णित राशि रु. 47,71,12,237/– (रुपये सैंतालिस करोड़ इकहत्तर लाख बारह हजार दो सौ .25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज 10.5.2016 से, वापस लौटाने का ।

ने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा।

विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों

ी गई तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

, उ.प्र. में स्थित प्लॉट नं. 49 पर सम्पूर्ण भूमि, कुल माप 60954.518 वर्ग मी. तथा उस पर निर्मित भवन

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

सिंडिकेट बैंक
शाखा कार्यालय: प्लॉट नं. एस–9, मामा शॉपिंग मॉल, नोएडा सेक्टर नोएडा रोड, सेक्टर नोएडा जिला गौतम बुध नगर (उ.प्र.)–201306, फोन:0120–2322894, 2322893, ईमेल: br8895@synidcatebank.co.in

मांग सूचना

वर्णित सम्पत्ति को गिरवी रख कर ऋण प्राप्त किया है तथा आप नीचे वर्णित ऋण अनुबंध के लिये आपके द्वारा की गई चूक के उपरान्त वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति फैसी अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत आपकी ऋण खाता को गैर प्राचालन परिसम्पत्ति के रूप में प्राधिकृत अधिकारी ने आपके द्वारा दिये गये पते पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (13) के साथ जारी किया। यह सूचना पंजीकृत डाक से भेजी गई जो आपको प्राप्त हुए बिना वापस लौट आई। इस पको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की है। अतः वर्तमान प्रकाशन सरफैसी अधिनियम की (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार सूचना के रूप में जारी की

ने वाली विवरण	13 (2) सूचना की तिथि	खाता संख्या एवं एनपीए की तिथि	13 (2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
मार के नाम ऊ–ए, बीटा–	6.8.2018	1) खाता सं. 88951400000672 एवं एनपीए तिथि: 29.12.2017 2) खाता सं. 88957730001140 एवं एनपीए तिथि: 31.5.2017	कुल रु.40,74,725.32/– (खाता नं.88951400000672 के अंतर्गत रु.11,49,433.32 एवं खाता सं. 88957730001140 के अंतर्गत रु.29,25,292.00 (रुपये चालिस करोड़ चौहत्तर लाख सात सौ पच्चीस एवं पैसे बत्तीस मात्र) तथा आगे का ब्याज एवं लागत आदि।

स सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागत एवं ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का केट बैंक ऋणधारकों, मार्टगेजरों तथा गारन्टरों के प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने सहित सभी या तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम यों में शामिल हैं: 1) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइनमेन्ट अथवा बिक्री द्वारा

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी आवेदन सीए (सीएए) सं. 144 (पीबी) वर्ष 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अधीन)
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
तथा

निम्न के विषय में :

कम्पनी अधिनियम की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित तदधीन विरचित नियम

तथा निम्न के विषय में :

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (CIN NO. L29113DL1984PLC018415), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय : यूजीएफ–6, इन्द्रप्रकाश 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 में स्थित है ;

पैन नंबर : AABCS7787C; ई–मेल : investorgrievance@jtekt.co.in;

वेबसाइट : www.jtect.co.in ; फोन नंबर : 011-23311924, 23327205

टेलीफैक्स नंबर : 011-23327205

तथा निम्न के विषय में :

जेटेक्ट सोना ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड तथा जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम

बैठकों की सूचना का विज्ञापन

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत क्रेडिटर्स तथा अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठकों के आयोजन की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी आवेदन सं. (सीएए) 144 (पीबी) वर्ष 2018 में आदेश दिनांकित 25 सितम्बर, 2018 (**"आदेश"**) के अनुसरण में जेटेक्ट सोना ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड (**"समामेलनकारी कम्पनी"**) तथा जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (**"समामेलित कम्पनी"**) और उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम (**"स्कीम"**) पर विचार करने के लिए निम्नलिखित बैठकें आयोजित की जाएंगी :

क. समामेलित कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2018 को अप. 02.00 बजे श्री सत्य साई इंटरनैशनल सेन्टर, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में ;

ख. समामेलित कम्पनी के प्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठक बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2018 को अप. 03.30 बजे श्री सत्य साई इंटरनैशनल सेन्टर, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में ;

ग. समामेलित कम्पनी के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठक बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2018 को अप. 04.30 बजे श्री सत्य साई इंटरनैशनल सेन्टर, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में ;

उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित उपरिवर्णित बैठकें यहां ऊपर वर्णित समय, दिन, तिथि और स्थान पर आयोजित की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, यह सूचना समामेलित कम्पनी के सार्वजनिक शेयरधारकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सीएफडी/डीआईएल3/सीआईआर/2017/21 दिनांकित 10 मार्च, 2017 के अधीन दी गई सूचना भी मानी जाएगी।

उक्त स्कीम और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन विवरण की प्रतियां समामेलित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा इसके अधिवक्ता मैसर्स शार्दुल अमरचंद मंगलदास ऐण्ड